

लघु जल संसाधन विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना (हर खेत को पानी) (RRR of WB's)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-SBD-04 / 2025-26

केवल ई० निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))पर

संवेदकों से दर प्रतिशत दर पर निविदा

पत्रांक-2273	दिनांक-20/12/2025		
1.	विज्ञापनदाला का नाम	कार्यालयक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा।	
2.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक- 29.12.2025	
3.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक-22.01.2026 से दिनांक- 29.01.2026 के अपराहन 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	
4.	पी-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में दिनांक-24.01.2026 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 03.00 बजे तक	
5.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-29.01.2026 के अपराहन 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।	
6.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-31.01.2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे से संबंधित प्रमंडलीय कार्यालय में।	
7.	तकनीकी निविदाओं का मुल्यांकन-	दिनांक-01.02.2026 से लगातार।	
8.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जायेगा।	
9.	निविदा की वैधता की अवधि	120 दिन	



16.	पर या अपरिपुष्ट होने पर इसके कागजात पर विचार नहीं होगा। संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट होंगे। अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा।
17.	इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदक को चाहिए की तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को पूर्व में ही अपलोड कर लें।
18.	अधीक्षण अभियंता(मुख्यालय अनुश्रवण) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1010(मौ०) दिनांक-18.07.2023 के द्वारा दर प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender/ Unlimited Rate) मान्य होगी। एक से अधिक निविदादाता का न्यूनतम दर समान होने पर लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
19.	मिस्ट्री कार्य मद के लिए अनुसूचित दर से अधिक अथवा कम उद्धृत दर की गणना खनन कर (Royalty) घटाकर की जायेगी।
20.	लोकहित / कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए वैसे सभी निविदादाताओं की निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा जिनके विरुद्ध पूर्व में निष्पादित / प्रक्रियाधीन निविदाओं में संलग्न किये गये कागजातों / अभिलेखों के फर्जी होने का साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं या उनके विरुद्ध विहार टेकेंदरी निबंधन नियमावली-2007 ए निविदा में निहित शर्तों के आलोक में एक0आई0आर0 दर्ज करने एवं डिबार / कालीकृत करने की कार्रवाई की गयी है या प्रक्रियाधीन है।
21.	Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1374(मौ०) दिनांक-05.12.2017, पत्रांक-746(मौ०) दिनांक-04.08.2021, पत्रांक 1046 (मौ०) दिनांक-29.05.2020 एवं मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक- 474, दिनांक- 01.06.2023का पालन किया जायेगा।
22.	निविदा का एकरारनामा SBD Form में कार्य की राशि के अनुसार किया जायेगा।
23.	निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्य स्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारणवश कार्य तुरंत शुरू होने कोई दिक्कत (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा को सूचित करेंगे। ऐसी संभावनाओं को प्री बीड में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है कि वे प्री बीड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे र स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीण से भी संपर्क कर लेंगे।
24.	कार्य का भुगतान विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा साथ ही संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
25.	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26.	विहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1%(एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी
27.	समय-समय पर विहार सरकार द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा एवं इस विशिष्टि की सभी कडिका / शर्तें एकरारनामा का 3 समझी जायेगी।
28.	चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला एस०पी० कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।

29.	कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने ख- कराना आवश्यक होगा।
30	"I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the require attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing." का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31.	इस निविदा में वैसे ही निविदाकारों के निविदा पर विचार किया जायेगा, जो किसी भी विभाग से Blacklisted/Debarred नहीं हो एवं उनके स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कोई कार्य, कार्य समाप्ति की अवधि तक लंबित नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्मांकित शपथ पत्र देना अनिवार्य है। (क) लघु जल संसाधन विभाग में कोई कार्य एकराजित कार्य समाप्ति अवधि तक लंबित नहीं है का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (ख) डिबार / कालीकृत / रिसाईन्ड नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
32.	संवेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सदव्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33.	कोई निकटतम सम्बन्धी / परिवारिक सम्बन्धी (अभिप्रेरित पति, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन एवं ससुराल से सम्बन्धीत सदस्य) विभाग के संबंधित कार्यालयों में कार्यरत नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34.	बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के पूरी निविदा अथवा इसके किसी खास अंश को किसी भी स्तर पर रद्द करने एवं विस्तारित तथा रिस्टर करने का अधिकार अटोइस्ताक्षरी / सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।
35.	विशेष जानकारी हेतु कार्यालयक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया / मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है एवं वेबसाईट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर देखा जा सकता है तथा ईटेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी / सूचना हेतु Toll Free Number: 1800 572 6571 सहायता कक्ष Mjunction Services Limited RI Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar पर Working Hours: 8AM to 7PM (All days in week except Sunday and few selected state holidays) संपर्क किया जा सकता है।
36.	बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी०एस०टी०/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
37.	सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
38.	विभागीय पत्रांक-746 दिनांक-04.08.2021 के अनुरूप निविदा में अभिलेख संलग्न करना होगा।
39.	निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) एकराजनामा के पूर्व लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
40.	संवेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दूरभाष संख्या या मोबाईल एवं Whatsapp नम्बर देना अनिवार्य होगा।
41.	निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तथा निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे-सभी शपथ पत्र (मूल में) बैंक गारंटी (मूल में), एकराजनामा के पूर्व कार्यालयक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा में जमा करना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रांक-147(सो०) दिनांक-31.01.2024 के

42.	आलोक में दिये गये निदेश का पालन किया जाएगा।
43.	किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
44.	25 प्रतिशत राशि इन्वेस्ट करने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। एसबीडी० की कॉडिका 3.3 एवं 4.8 में वर्णित आशय का शपथ-पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो, देना अनिवार्य होगा। अन्यथा सखेदक को अयोग्य कर दिया जायेगा।
45.	Existing Commitment and Ongoing Work से सम्बंधित प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता या उनके समकक्ष से निर्गत होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग का पत्रांक-704 दिनांक-03.08.2018 भी मान्य होगा।
46.	Certified that statement showing values of all existing commitment and ongoing works as well as stipulated period of completion remained for each work attached with the tender is true and no fact has been hidden. का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
47.	खान एवं भूतल विभाग, बिहार का पत्रांक-4418/एम0, पटना दिनांक-19.11.2024 के अनुसार कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों का चालान अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। चालान नहीं जमा करने पर पत्र में दिये गए निदेश के अनुसार रोयल्टी का 25 गुणा कटौती की जाएगी।
48.	किसी प्रकार का आपत्ति निविदा में भाग लेने वाले सखेदक द्वारा निष्धारित समय सीमा के अन्दर में शपथ पत्र के साथ देने पर ही विचार किया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा।  
23.12.25